VIII. *ऐसे अधिकारियों एवं निकायो का विवरण जिसमें दो या अधिक व्यक्ति है जिसका उसके भाग रूप से या इस बारे में परामर्श देने के लिये गठन किया गया है तथा क्या इन निकायों की बैठक जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठक के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी ।*

<u>स्थायी समितियाः</u>

नगर निगम तथा नगरपालिका में निम्न स्थाई समितियां गठित की जाती है : -

<u>साधारण स्थाई समिति</u>

यह स्थापना विशायों और संचार, भवन, नगरीय आवास, जलदायक, मलनिकासी, राहत कार्य इत्यिादि की देख रेख करती है।

<u>वित, संपरीक्षा और योजना समितिः</u>

यह वित बजट राजस्व प्रस्ताव करने राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय विवरण तैयार करने का काम देखती है ।

<u>समाजिक न्याय समितिः</u>

यह अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन-जतियों ,पिछडे वर्गो महिलाओं, शिक्षा अर्थिक समाजिक सांस्कृतिक और अन्य हितो की अभिवृध्दि के देख रेख करती है ।

प्रत्येक समिति के 3 से 5 सदस्य होते है, उनमे से कम से कम एक सदस्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियो से होना चाहिए । नगर पालिकाओं में अध्यक्ष साधारण और वित समितियो मे अध्यक्ष होते है उपाध्यक्ष सामाजिक समिति के अध्यक्ष चुनना होते है और जहां पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का काम कर रहे है वहां पर समिति को अपना अध्यक्ष चुनना होता है । दो से अधिक समितयों का कोई भी सदस्य एक समय मे सदस्य नही हो सकता।

शक्तियां एंव कृत्यः

MC-PAONTA SAHIB

प्रायः नगर पालिकाओं के परम्परागत कृत्यों में शहर की जलापूर्ति, सफाई, मल निकासी राहत कार्यों की गणना होती हैं। विकास की गति के साथ-साथ यह कृत्य बढते जा रहे हैं। सविधान के

MC-PAONTA SAHIB